[ 2021 ] 4 एस. सी. आर. 44

संजीव प्रकाश

वी.

सीमा कुकरेजा और हमारा।

( 2021 की सिविल अपील संख्या 975)

अप्रैल 06,2021

[ आर. एफ. नरीमन, बी. आर. गवई और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 11- न्यायालय की शक्ति यू/एस। 11 – अनुबंध की नवीनता-तथ्यों पर याचिका का दायरा,

पिता ने अपने निजी कोष से एक निजी कंपनी बनाई और बिना किसी विचार के अपने परिवार के सदस्यों के बीच शेयर वितरित किए-विदेशी कंपनी ने लंबे समय तक पिता से संपर्क किया

इक्विटी निवेश और सहयोग-इसके अनुसार, परिवार के सदस्यों-अपीलार्थी और उत्तरदाताओं ने समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया

समझौता ज्ञापन (एमओयू), जिसमें इस संबंध में विवाद उत्पन्न होते हैं

क्या एस. एच. ए. द्वारा समझौता ज्ञापन को नया रूप दिया गया है, इसके लिए दोनों समझौतों के खंडों पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है, साथ ही उन आसपास की परिस्थितियों पर भी जिसमें ये समझौते किए गए थे, और इस विषय पर कानून पर पूरा विचार करने की आवश्यकता है-यह किसी अदालत के सीमित अधिकार क्षेत्र को देखते हुए नहीं किया जा सकता है। 11 – विस्तृत तर्क कि क्या एक समझौता जिसमें एक शामिल है मध्यस्थता खंड को नया किया गया है या नहीं किया गया है, संभवतः एक सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा के अभ्यास में निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-धारा 11-अदालत मामले को तब संदर्भित करेगी जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित विवाद

44 संजीव प्रकाश बनाम। सीमा कुकरेजा और हमारा।

स्पष्ट रूप से तर्क योग्य हैं, या जब तथ्यों का विरोध किया जाता है-तत्काल मामला उन मामलों की श्रेणी में नहीं आता है जो मध्यस्थता को पूरी तरह से हटा देते हैं-इसके अलावा, इस स्तर पर न्यायालय को एक लघु परीक्षण, मध्यस्थता समझौते की वैधता के माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार नहीं है-यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़प लेगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है-पक्षकारों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित मामला।

अनुबंध अधिनियम, 1872। 62 .

2021 की सिविल अपील संख्या 975 को अनुमति देना और 2021 की सिविल अपील संख्या 976 का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 मध्यस्थता और सुलह के आधार पर

( संशोधन) अधिनियम, 2015, जिसके द्वारा धारा 11 (6ए) को पेश किया गया था, धारा 11 के तहत अदालत की शक्तियों के दायरे के बारे में पहले की स्थिति, एक मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय, अब यह देखने के लिए संकुचित हो गई है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। [ पैरा 6] [65-बी-सी]

1.2 यह स्पष्ट है कि क्या शेयरधारक के समझौते दिनांक 12.04.1996 द्वारा समझौता ज्ञापन को नया बनाया गया है, इसके लिए दोनों समझौतों के खंडों के साथ-साथ आसपास के प्रावधानों पर भी विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है।

जिन परिस्थितियों में ये समझौते किए गए थे, और इस विषय पर कानून पर पूरा विचार किया गया था। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत अदालत के सीमित अधिकार क्षेत्र को देखते हुए इनमें से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 9] [79-बी-सी]

1.3 इस बात पर विस्तृत तर्क कि क्या एक समझौता जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है या नहीं है, संभवत: एक सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा के अभ्यास में तय नहीं किया जा सकता है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। इसके अलावा, यह मामला उन मामलों की श्रेणी में नहीं आता है जो मध्यस्थता को पूरी तरह से हटा देते हैं, जैसे कि ऐसे मामले जो न्यायिक कार्यवाहियों में हैं या ऐसे मामले जो निस्संदेह नाबालिगों, पागलों या अनुबंध करने में अक्षम अन्य व्यक्तियों से संबंधित हैं। अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका में कुछ भी कष्टप्रद या तुच्छ नहीं है। इसके विपरीत, धारा 11 अदालत उस मामले को तब संदर्भित करेगी जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित दलीलें स्पष्ट रूप से बहस योग्य हों, या जब तथ्यों का विरोध किया जाए। अदालत, इस स्तर पर, [2021] 4 एस. सी. आर. दर्ज नहीं कर सकती।

लघु विचारण या तथ्यों और कानून की विस्तृत समीक्षा करना जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़प लेगा। [ पैरा 9] [79-डी-एफ]

विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2

एस. सी. सी. 1-निर्भर

1.4 विवादित निर्णय यह निर्णय लेने में पूरी तरह से गलत था कि कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत की याचिका और 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6ए) पर निर्भरता, जैसा कि डचूरो फेलगुएरा के मामले और मायावती ट्रेडिंग के मामले में स्पष्ट किया गया था, उस मामले में लागू नहीं थे। समझौता ज्ञापन और एस. एच. ए., जो विशेष रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, पर विस्तृत विचार करने के अलावा एकल न्यायाधीश एस. एच. ए. के खंड 28 पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी प्रकार का समझौता

जैसा कि खंड 28.2 में पक्षकारों के बीच विस्तृत रूप से बताया गया है प्रतिस्थापित, खंड 28.1 का भी उल्लेख नहीं करता है। कोई विचार नहीं

1.5 उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और पक्षों को एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, न्यायमूर्ति आफताब आलम (इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश), जो किसी भी संदर्भ के बिना पक्षों के बीच विवाद का फैसला करेंगे।

इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, जो केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। [ पैरा 11] [80-बी]

भारत संघ बनाम। किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। [ 1960 ] 1 एससीआर 493; दामोदर घाटी निगम बनाम। के. के. कर (1974) 1 एससीसी 141: [ 1974 ] 2 एस. सी. आर. 240; यंग अचीवर्स बनाम। आईएमएस लर्निंग रिसोर्सेज (पी) लिमिटेड (2013) 10 एस. सी. सी. 535 [2013] 2 एस. सी. आर. 252; काले बनाम। समेकन उप निदेशक (1976) 3 एस. सी. सी. 119: [ 1976 ] 3 एस. सी. आर. 202; रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2010) 7 एस. सी. सी. 1: [ 2010 ] 5 एस. सी. आर. 704; डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729 [2017] 10 एस. सी. आर. 285; मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड वी. प्रद्युत देब बर्मन (2019) 8 एस. सी. सी. 714: [ 2019 ] 12 एससीआर 123; रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर (2020) 9 एस. सी. सी. 706; सासन पावर लिमिटेड बनाम।

उत्तर संजीव प्रकाश बनाम। सीमा कुकरेजा और हमारा।

अमेरिकी कोयला निगम। ( इंडिया) (पी) लिमिटेड (2016) 10 एससीसी

813 : [ 2016 ] 6 एससीआर 809; लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम। मोहन

लाल हरबंस लाल भयाना (2015) 2 एस. सी. सी. 461: [ 2014 ]

3 एससीआर 162; वी. बी. रंगराज बनाम वी. बी. गोपालकृष्णन

( 1992 ) 1 एससीसी 160: [ 1991 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1; पुष्प

कटोच बनाम। मनु महारानी होटल्स लिमिटेड 2005 एससीसी

ऑनलाइन डेल 702: ( 2005 ) 83 डी. आर. जे. 246; प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लिमिटेड वी. गैलेक्सी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग

प्रा. लिमिटेड 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 190; भारत संचार

निगम लिमिटेड बनाम। नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्रा. लिमिटेड 2021 एस. सी. सी.

ऑनलाइन एस. सी. 207 को संदर्भित किया गया

बार्कलेज बैंक पीएलसी बनाम। यूनिक्रेडिट बैंक एजी एंड एनोर, [2014]

ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 303; संघीय गणराज्य नाइजीरिया बनाम। जेपी

मॉर्गन चेस बैंक, एनए, [2019] ईडब्ल्यूएचसी 347 (कॉम); किनसेला और एनोर बनाम। इमासन एजी और एनोर, [2019]

ई. डब्ल्यू. एच. सी. 3196 (सीएच)-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[ 1960 ] 1 एससीआर 493

संदर्भित किया गया है

पैरा

2

[ 1974 ] 2 एससीआर 240

संदर्भित किया गया है

पैरा

2

[ 2013 ] 2 एससीआर 252

संदर्भित किया गया है

पैरा

2

[ 1976 ] 3 एससीआर 202

पैरा

3

संदर्भित किया गया है

[ 2010 ] 5 एससीआर 704

पैरा

3

संदर्भित किया गया है

[ 2017 ] 10 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पैरा

3

[ 2019 ] 12 एससीआर 123

संदर्भित किया गया है

पैरा

3

( 2020 ) 9 एस. सी. सी. 706

संदर्भित किया गया है

पैरा

4

[ 2016 ] 6 एससीआर 809

पैरा

5

संदर्भित किया गया है

[ 2014 ] 3 एससीआर 162

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

[ 1991 ] 3 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

( 2005 ) 83 डी. आर. जे 246

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

( 2021 ) 2 एससीसी 1

पैरा

6

[202

1] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 975

2021 . अरब में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.10.2020 से। 2020 का पी. नंबर 4।

के साथ

2021 की सिविल अपील संख्या 976।

के. वी. विश्वनाथन, कठपालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, अभिमन्यु महाजन, स्वप्निल गुप्ता, उज्ज्वल बनर्जी, शिशिर दिवतिया, सुश्री अनुभा गोयल, आकाश खुराना, मयंक जोशी, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिनव अग्रवाल, माणिक डोगरा, अविष्कार सिंघवी, सुश्री सोनाली जेटली बख्शी, पल्लव पांडे, सुश्री रिनी बडोनी,

सुश्री राधिका मलिक, पी. वी. योगेश्वरन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

2021 की सिविल अपील संख्या 975

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["1996 अधिनियम"] की धारा 11 के तहत एक याचिका को खारिज करने से उत्पन्न होती है। अपीलार्थी, संजीव प्रकाश, एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसमें उनकी बहन, सीमा कुकरेजा (यहाँ प्रतिवादी संख्या 1), उनकी माँ, दया प्रकाश (यहाँ प्रतिवादी संख्या 2) और उनके पिता, प्रेम प्रकाश (यहाँ प्रतिवादी संख्या 3) भी शामिल हैं। अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों को इसके बाद सामूहिक रूप से "प्रकाश परिवार" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 . एक निजी कंपनी को 09.12.1971 पर निगमित किया गया था

प्रेम प्रकाश द्वारा एशियन फिल्म्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ["कंपनी"] का नाम और शैली, भुगतान की गई पूंजी की पूरी राशि जो उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत धन से भुगतान की जा रही है। इसके बाद उन्होंने बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किए अपने परिवार के सदस्यों को शेयर वितरित किए। 06.03.1997 पर, कंपनी का नाम बदलकर उसका वर्तमान नाम-एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

कर दिया गया। 2.2 . वैश्विक स्तर पर संजीव प्रकाश के व्यापक प्रयासों के कारण, रॉयटर्स टेलीविज़न मॉरीशस लिमिटेड (अब थॉमसन रॉयटर्स)

निगम), मॉरीशस में निगमित एक कंपनी ["रॉयटर्स"], संजीव प्रकाश बनाम के साथ दीर्घकालिक इक्विटी निवेश और सहयोग के लिए उनसे संपर्क किया।

सीमा कुकरेजा और हमारा।

[ आर. एफ. नरीमन, जे.]

कंपनी इस शर्त पर कि वह इसमें सक्रिय भूमिका निभाएगी

कंपनी का प्रबंधन।

2.3 . इस समझ के अनुसार, एक ज्ञापन

समझौता ज्ञापन (एमओयू) 1996 में किसी समय किया गया था।

प्रकाश परिवार के चार सदस्य। समझौता ज्ञापन में दर्ज किया गया कि प्रेम प्रकाश के मार्गदर्शन और दृष्टिकोण से समर्थित संजीव प्रकाश कंपनी के जबरदस्त विकास के लिए जिम्मेदार थे। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी इस प्रकार रखी गई थी:

प्रतिशत रखा गया

रुपया

प्रेम प्रकाश

2,80,000

27.99 %

दया प्रकाश

24.01 %

2,40,000

संजीव प्रकाश

3,00,000

30.00 %

सीमा कुकरेजा

1,80,000

18.00 %

100.00 %

10,00,000

प्रकाश परिवार को इस हिस्सेदारी का 49 प्रतिशत विनिवेश करना था।

रॉयटर्स या उसके सहयोगियों का पक्ष, अधिकारियों की आवश्यक अनुमति के अधीन, निम्नानुसार है:

" और जबकि एएनआई पिछले कई वर्षों से कर रहा है

रॉयटर्स टेलीविजन (रॉयटर्स) के साथ काफी व्यापार। द.

उनके बीच संबंध घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इसके लिए

संबंध को मजबूत करें और इसका अधिकतम उपयोग करें

रॉयटर्स की लगातार बढ़ती हुई समाचार वीडियो मांगों को पूरा करना दुनिया भर के ग्राहकों को उपग्रह प्रसारण, यह पाया गया है

कंपनी के मौजूदा सदस्यों द्वारा 49 प्रतिशत विनिवेश करना समीचीन

अधिकारियों की आवश्यक अनुमति के लिए। यह पक्का होगा कि रॉयटर्स और रॉयटर्स के बीच वर्षों से बना संबंध

कंपनी "।

समझौता ज्ञापन में आगे लिखा गया: " 1. प्रकाश परिवार अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश निम्नानुसार करेगा:



प्रेम प्रकाश

दया प्रकाश

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संजीव प्रकाश

1470

सीमा कुकरेजा

882

4900

2. वह प्रकाश परिवार एस. पी. द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व और एएनआई नाम के साथ कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनकी भूमिका को पहचानता है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। 3. डी. पी. शुरू से ही कंपनी के प्रबंध निदेशक रहे हैं और प्रकाश परिवार कंपनी के खातों और वित्त को बहुत कुशलता से संभालने के परिणामस्वरूप कंपनी को एक बहुत ही मजबूत वित्तीय आधार पर लाने में उनकी भूमिका को पहचानता है। इक्विटी में रॉयटर्स की भागीदारी के बाद वह प्रबंध निदेशक बनी रहेंगी।

4. रॉयटर्स के 49 प्रतिशत शेयरधारक बनने के बाद प्रकाश परिवार के पास कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी। के रूप में

प्रकाश परिवार के सदस्यों का इरादा और इच्छा है कि उनके कार्य और मतदान इस तरह से होने चाहिए ताकि वे सर्वसम्मति से और एक ब्लॉक के रूप में कार्य कर सकें।

5. एस. पी. अपनी लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के बाद भी कंपनी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रखना जारी रखेंगे। रॉयटर्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे चाहेंगे कि कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण निहित हो।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एस. पी. रॉयटर्स को एशियन फिल्म्स लैबोरेटरीज प्राइवेट में भाग लेने के लिए प्राप्त करने में सक्षम रहा है। लि. दूसरे ने प्रकाश परिवार के शेयरधारक पी. पी., डी. पी. और एस. के. निदेशकों और एस. के. दोनों में सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए सहमत हैं।

एस. पी. द्वारा निर्देशित तरीके से बैठक करने वाले शेयरधारक इस आशय के लिए सहयोग करने और निम्नलिखित को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुच्छेदों में संशोधन के लिए मतदान करने के लिए सहमत हैं:

( क) बोर्ड में एस. पी. का सकारात्मक मत या उसे अनुमोदित करने के लिए लिखित रूप में उनकी सहमति रखने का कोई भी प्रस्ताव।

( ख) उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के बावजूद असमान मतदान अधिकार:

संजीव प्रकाश बनाम। सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रेम प्रकाश

1 वोट करें।

दया प्रकाश

1 वोट करें।

सीमा कुकरेजा

1 वोट करें।

संजीव प्रकाश

5097 वोट

रॉयटर्स टेलीविजन मॉरीशस लिमिटेड

4900 वोट करें।

पी. पी., डी. पी., एस. पी. और एस. के. और वे इस तरह से कार्य करेंगे इस समझौता ज्ञापन में कहा गया है।

8.कि यदि पी. पी. या डी. पी. उसे बेचना या वसीयत करना चाहते हैं। उसके इक्विटी शेयरों की पेशकश/वसीयत केवल उन्हें की जाएगी।

एस. पी. या उनके उत्तराधिकारी। इसी प्रकार, एस. के. की स्थिति में या

उसके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी अपने शेयर बेचना चाहते हैं, वही होगा

केवल एस. पी. या उनके उत्तराधिकारियों को बेचा गया। भुगतान किया गया प्रतिफल होगा -

अंतिम तुलनपत्र तिथि पर शेयरों का शुद्ध मूल्य निर्धारित किया गया

कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा। XXX XXX XXX

11. यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की पूरी समझ का प्रतीक है।

इसकी विषय वस्तु के लिए और लिखित के अलावा इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन के सभी पक्षों को निष्पादित किया।

12. इस संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, प्रश्न या मतभेद आदि।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार एकल मध्यस्थ को भेजा जाएगा।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के साथ और उनके अधीन, या

उस समय के लिए कोई अन्य अधिनियम या वैधानिक संशोधन

बल में होना "।

2.4 . 12.04.1996 ["SHA"] दिनांकित एक शेयरधारकों का समझौता था

प्रकाश परिवार और रॉयटर्स के बीच निष्पादित किया गया। जहाँ तक हैचींटी, एस. एच. ए. ने अपीलार्थी और उत्तरदाताओं को संदर्भित किया

"प्रकाश परिवार के शेयरधारकों" के रूप में, और व्यक्तिगत रूप से एक

ऐश परिवार शेयरधारक "। यह तब प्रवेश करने का कारण निर्धारित करता है

वह एसएचए इस प्रकार है:

" जहाँ ( ए) आज के बीच एक शेयर खरीद समझौते के अनुसार

प्रकाश परिवार के शेयरधारक और रॉयटर्स (शेयर खरीद [2021] 4 एस. सी. आर.

समझौता), रॉयटर्स ने 4,900 शेयर (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) खरीदने पर सहमति व्यक्त की है जो एशियन फिल्म्स लैबोरेटरीज (प्राइवेट) की जारी की गई शेयर पूंजी का 49 प्रतिशत है। लिमिटेड (कंपनी)। इसके बाद

शेयर खरीद समझौते के पूरा होने पर, प्रकाश परिवार के प्रत्येक शेयरधारक के पास अनुसूची 3 में उनके नाम के सामने रखे गए शेयरों की संख्या होगी, जिसमें प्रकाश परिवार के शेयरधारकों के पास कुल शेयरों की संख्या होगी। यह कंपनी की जारी की गई शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत है।

( बी) शेयरधारक (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) कंपनी में शेयरधारकों के रूप में अपने संबंधों को नियंत्रित करने वाली शर्तों को निर्धारित करने के लिए समझौते में प्रवेश कर रहे हैं।

परिभाषा खंड में, "आर्टिफिशियल डेडलॉक" और "मैनेजमेंट लॉक" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

" आर्टिफिशियल डेडलॉक का अर्थ है प्रकाश परिवार के शेयरधारकों या रॉयटर्स (या बोर्ड में कोई भी नियुक्त व्यक्ति) किसी मुद्दे या प्रस्ताव के खिलाफ उन परिस्थितियों में मतदान करता है जहां उसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है।

कंपनी को तत्कालीन वर्तमान अनुमोदित व्यापार योजना और बजट के अनुसार व्यवसाय को ठीक से और प्रभावी ढंग से चलाने में सक्षम बनाना। XXX XXX XXX

" प्रबंधन डेडलॉक का अर्थ है सामग्री प्रबंधन।

एक ओर प्रकाश परिवार के किसी भी या सभी निदेशकों और दूसरी ओर रॉयटर्स के निदेशकों के बीच कंपनी के मामलों से संबंधित विवाद (एक कृत्रिम समय सीमा नहीं होने के कारण) जो इस तरह के विवाद को रायटर्स के प्रबंध निदेशक (खंड 16.1 में परिभाषित) को निपटाने के लिए भेजे जाने के साठ (60) दिनों के भीतर हल नहीं किया जाता है और

सभापति; "

अभिव्यक्ति "प्रकाश परिवार निदेशक" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

" प्रकाश परिवार निदेशकों का अर्थ है निदेशक

प्रकाश परिवार द्वारा समय-समय पर नियुक्त कंपनी

लेखों के अनुसार शेयरधारक; "

अभिव्यक्ति "प्रकाश परिवार के सदस्य या हित" था निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

संजीव प्रकाश बनाम। सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

" प्रकाश परिवार के सदस्यों या हितों का अर्थ है प्रकाश परिवार के प्रत्येक शेयरधारक और उनके संबंधित पिता, माता, बेटे, बेटियां, भाई और बहन (प्रकाश परिवार के रिश्तेदार) और कोई भी कंपनी जिसमें ऐसे किसी भी संबंध या प्रकाश परिवार के किसी भी शेयरधारक का नियंत्रित हित है।

" रॉयटर्स डायरेक्टर्स को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

" रॉयटर्स निदेशकों का अर्थ है समय-समय पर लेखों के अनुसार रॉयटर्स द्वारा नियुक्त कंपनी के निदेशक; "

" रॉयटर्स ग्रुप "को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

" रायटर्स ग्रुप का अर्थ है रायटर्स, इसकी होल्डिंग कंपनी और कुछ समय के लिए ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियां।

एस. एच. ए. के खंड 11,12 और 14 और अनुसूची 1 के साथ पठित खंड 4 में शेयरों के हस्तांतरण और पूर्व-समावेशन पर चर्चा की गई थी।

खंड 7.2 महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार कहता है:

" 7.2 जब तक शेयरधारकों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, निदेशकों की संख्या सात (7) होगी, जब तक कि

प्रकाश परिवार के शेयरधारकों का प्रतिशत ब्याज

कुल पचास बिंदु शून्य एक प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है। ( 50.01 % ) , अनुच्छेदों के अनुसार चार (4) प्रकाश परिवार के निदेशक होंगे और तीन (3) रॉयटर्स के निदेशक होंगे। यदि प्रकाश परिवार के शेयरधारकों का प्रतिशत ब्याज इस स्तर से नीचे चला जाता है, तो प्रकाश परिवार के निदेशकों और रॉयटर्स के निदेशकों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

लेख "।

बैठक आयोजित करने के लिए कोरम तब खंड 7.12 में निर्धारित किया गया था, विशेष बहुमत की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को खंड 8.1 में निर्धारित किया गया था। डिफ़ॉल्ट घटनाओं को खंड 11 में निर्धारित किया गया था। खंड 11.2 निम्नानुसार महत्वपूर्ण है।

" 11.2 यदि किसी भी संबंध में एक डिफ़ॉल्ट घटना मौजूद है शेयरधारक (चूक करने वाला शेयरधारक), फिर प्रकाश परिवार के शेयरधारक के संबंध में मौजूद डिफ़ॉल्ट घटना के मामले में शामिल अन्य शेयरधारक (ओं), रॉयटर्स और रॉयटर्स के संबंध में मौजूद डिफ़ॉल्ट घटना के मामले में, प्रकाश

एस सी आर।

पारिवारिक शेयरधारक (पहले मामले में रॉयटर्स में से प्रत्येक और दूसरे मामले में प्रकाश परिवार के शेयरधारक गैर -

चूक करने वाले शेयरधारक (ओं) को अधिकार होगा, बशर्ते कि

चूककर्ता शेयरधारक का अपने शेयरों को हस्तांतरित करने का पूर्व अधिकार

अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 में विचार किया गया (सभी जैसा कि इसमें प्रदान किया गया है)

खंड 11.3), किसी नामित व्यक्ति द्वारा खरीद या खरीद करना। या द्वारा रखे गए शेयरों के सभी (लेकिन केवल कुछ नहीं) के किसी तीसरे पक्ष द्वारा

चूक करने वाला शेयरधारक, बशर्ते कि, चूक के मामले में

खंड 11.1 (ग) (ii), प्रासंगिक उल्लंघन या तो ठीक नहीं किया गया है। गैर-चूक की उचित संतुष्टि के लिए

शेयरधारक (ओं) या उसके द्वारा माफ किया गया या, जैसा भी मामला हो, अन्य।

99

खंड 12.1, "परिस्थितियों में परिवर्तन" शीर्षक के तहतः

एलिटी "तब निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः

" 12.1 जहाँ किसी कानून का प्रवर्तन, अधिरोपण या परिवर्तन किया जाता है। या किसी कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में कोई परिवर्तन करता है

रॉयटर्स के लिए इस तरह के कानून का उल्लंघन किए बिना यह गैरकानूनी या अव्यावहारिक है

कम से कम उनतालीस प्रतिशत तक अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना। ( 49 % ) में से

कंपनी की सामान्य शेयर पूंजी जारी करना या सभी या

रॉयटर्स द्वारा अधिसूचित किए जाने पर, इस समझौते के तहत इसके किसी भी दायित्व

इसके अनुसार निर्धारित मूल्य पर शेयरों की अपनी हिस्सेदारी खरीदें। खंड 11.4 के साथ, जो उत्परिवर्तनों को लागू करेगा, और ऐसा कोई भी

खरीद अन्य शेयरधारकों द्वारा अनुपात में की जाएगी।

शेयरों की अन्य शेयरधारकों की हिस्सेदारी कुल मिलाकर ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या;

( ख) कंपनी को उधार दी गई या उपलब्ध कराई गई कोई भी राशि रॉयटर्स को तुरंत भुगतान किया जाए; और

( ग) रॉयटर्स इस तरह के नोटिस की सेवा के बाद बंद हो जाएगा पूर्ववर्ती प्रावधानों को छोड़कर इसके प्रावधानों से बाध्य

इस खंड 12 का।

समाप्ति खंड निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:

" 14.1 यह समझौता पूरी तरह से लागू रहेगा और इसके लिए प्रभावी होगा

जब तक (i) प्रकाश परिवार का कोई भी शेयरधारक और संजीव प्रकाश बनाम।

( क) किसी भी मामले, उपक्रम या शर्तों के संबंध में किसी भी दायित्व या दायित्व से किसी भी शेयरधारक को राहत देता है जो ऐसे किसी भी शेयरधारक द्वारा पहले किया गया, अवलोकन किया गया या निष्पादित किया गया

इस तरह की समाप्ति के लिए;

इसे बदलने के लिए, उनमें से किसी एक के उत्तराधिकारी के पास शेयर हैं। समझौता; या

( ग) इसके खंड 15 (गोपनीयता) की शर्तों को प्रभावित करता है।

समझौता "।" 9 मध्यस्थता खंड खंड 16 में निर्धारित किया गया था जो इस प्रकार है -

वीएसः

" कानूनी विवाद

16.1 इस समझौते (एक कानूनी विवाद) के संबंध में उत्पन्न होने वाले शेयरधारकों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, वे उपयोग करेंगे

मामले को सौहार्दपूर्ण आधार पर हल करने के लिए सभी उचित प्रयास। यदि कोई शेयरधारक किसी अन्य शेयरधारक को औपचारिक लिखित सूचना देता है कि कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया है और संबंधित शेयरधारक इस तरह के नोटिस की सेवा के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर विवाद को हल करने में असमर्थ हैं, तो विवाद

वरिष्ठ के प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा

रॉयटर्स ने प्रबंधन कंपनी की पहचान जिम्मेदारी के रूप में की

भारत के लिए (रॉयटर्स के प्रबंध निदेशक) और कंपनी के अध्यक्ष। इस समझौते के तहत मध्यस्थता का कोई सहारा तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। संगठन

16.2 यदि रॉयटर्स के प्रबंध निदेशक और कंपनी के अध्यक्ष तीस (30) दिनों के भीतर खंड 16.1 के तहत उन्हें संदर्भित किसी भी कानूनी विवाद को हल करने में असमर्थ रहे होंगे, तो उस विवाद को किसी भी शेयरधारक के अनुरोध पर भेजा जाएगा और [2021] 4 एस. सी. आर.

अंत में उन नियमों के अनुसार नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थों द्वारा लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नियमों के तहत और उनके अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटारा किया गया। मध्यस्थता का स्थान लंदन होगा और इस खंड 16.2 की शर्तें अंग्रेजी कानून के अनुसार शासित और समझी जाएंगी। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

खंड 28, जिस पर दोनों पक्षों के तर्क का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है, निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" पूरा समझौता 28.1 यह समझौता, सहायक समझौते और हिस्सेदारी

खरीद समझौता पूरे समझौते का गठन करता है और

विषय वस्तु के संबंध में पक्षों की समझ और किसी भी पक्ष ने इस समझौते में प्रवेश नहीं किया है

अन्य पक्षों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या उपक्रम पर निर्भरता जो यहाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। या उसमें।

28.2 खंड 28.1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्षकार एतद्द्वारा इस बात से सहमत हैं कि यह समझौता किसी भी या सभी पूर्ववर्ती प्रावधानों का स्थान ले लेगा।

समझौतों, समझौतों, व्यवस्थाओं, वादों,

किसी भी रूप या प्रकृति के अभ्यावेदन, वारंटी और/या अनुबंध, चाहे मौखिक या लिखित रूप में और चाहे स्पष्ट या अंतर्निहित हों, जो सहायक समझौतों के अलावा पार्टियों के बीच इसकी तारीख से पहले किए गए हो सकते हैं।

साझा खरीद समझौता "। खंड 31 शासी कानून और क्षेत्राधिकार से संबंधित है और राज्यों के रूप में

निम्नलिखित है:

द्वारा शासित और इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार समझा जाता है) द्वारा शासित है और इसके अनुसार समझा जाएगा भारत के कानून।"

2.5 . उसी दिन, प्रकाश परिवार और रॉयटर्स के बीच एक शेयर खरीद समझौता दिनांक 12.04.1996 ["SPA"] किया गया था। एस. पी. ए. में एस. एच. ए. के खंड 16 के समान एक मध्यस्थता खंड भी शामिल था, और इसमें एक "संपूर्ण" खंड भी शामिल था।

खंड 11 में समझौता खंड ", जो एस. एच. ए. के खंड 28 के समान है। उसी तारीख को संजीव प्रकाश बनाम में विभिन्न सहायक समझौते भी किए गए थे।

सीमा कुकरेजा और हमारा।

[ आर. एफ. नरीमन, जे.]

एस. एच. ए. में निर्दिष्ट पक्षों को देखें। ये सहायक समझौते एस निम्नलिखित हैः

प्रतिलिपि अधिकार सौंपने के लिए दिनांकित समझौता

( (i)

12.04.1996 प्रेम प्रकाश, एशियन फिल्म्स के बीच

प्रयोगशालाएँ प्रा. लिमिटेड, और रॉयटर्स टेलीविजन मॉरीशस

लि.

( (ख)

12.04.1996 दिनांकित व्यापार स्पष्टीकरण समझौता एशियन फिल्म्स लैबोरेटरीज प्रा. रॉयटर्स टेलीविजन मॉरीशस लिमिटेड और वेद एंड कंपनी के भागीदार (यानी प्रेम प्रकाश, दया प्रकाश, संजीव प्रकाश और सीमा)

कुकरेजा)

( iii)

पी. आई. बी. प्रत्यायन समझौता दिनांक 12.04.1996 के बीच एशियन फिल्म्स लैबोरेटरीज प्रा. रॉयटर्स टेलीविजन मॉरीशस लिमिटेड और वेद एंड कंपनी के भागीदार (यानी प्रेम प्रकाश, दया प्रकाश, संजीव प्रकाश और सीमा)

कुकरेजा)

( iv) सुविधाएँ और विपणन समझौता दिनांक 12.04.1996

एशियन फिल्म्स लैबोरेटरीज प्रा. लि. लिमिटेड और रॉयटर्स

टेलीविजन (इंग्लैंड) लिमिटेड

एशियाई फिल्मों के बीच दिनांकित 12.04.1996 सेवा समझौता

( v)

प्रयोगशालाएँ प्रा. लिमिटेड और संजीव प्रकाश

( vi) प्रेम के बीच दिनांकित कर क्षतिपूर्ति का विलेख 12.04.1996

प्रकाश, दया प्रकाश, संजीव प्रकाश, सीमा कुकरेजा, एशियन फिल्म्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, और रॉयटर्स टेलीविजन

मॉरीशस लिमिटेड

2.6 . कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन किया गया था।

.05.1996 समझौता ज्ञापन में लिए गए कुछ निर्णयों को प्रतिबिंबित करना। । खंड 11 (च) में संशोधन किया गया था ताकि इसे निम्नानुसार पढ़ा जा सके:

( च) यदि निरंतर शेयरधारक (ओं) में प्रकाश परिवार के शेयरधारक शामिल हैं और उनके द्वारा अनुच्छेद 11 (ई) के तहत खरीदारी की जानी है, तो एस. पी. को विक्रेता के सभी (लेकिन केवल कुछ नहीं) शेयरों को खरीदने का अधिकार (लेकिन दायित्व नहीं) होगा। अगर एस. पी. असफल हो जाता है सुपर कोर्ट रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर विक्रेता के सभी शेयर खरीदें

एस सी आर।

अनुच्छेद 11 (ई) में ऐसी खरीद के अधीन शेयर प्रत्येक प्रकाश परिवार के शेयरधारक द्वारा इस अनुपात में अधिग्रहित किए जाएंगे।

ऐसे शेयरधारक की शेयरों की होल्डिंग कुल मिलाकर वहन करती है।

प्रकाश परिवार के सभी शेयरधारकों के शेयरों की संख्या

जो इस तरह की खरीदारी करने के लिए बाध्य हो गए हैं।

इसी तरह, खंड 11 (i) (i) जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था: " 11. शेयरों का हस्तांतरण

XXX XXX XXX ( i) XXX XXX

( i) सेवा करने पर एस. पी. को अधिकार (लेकिन दायित्व नहीं) होगा।

प्रकाश परिवार के प्रत्येक शेष शेयरधारक को लिखित सूचना प्रकाश परिवार के किसी भी अन्य शेयरधारक की वरीयता में ऐसे शेयरों के सभी (लेकिन कुछ ही नहीं) को खरीदना;

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के खंड 16 (बी) में भी समझौता ज्ञापन के खंड को निम्नानुसार शामिल किया गया है:

" 16. XXX XXX

( ख) यदि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव की मांग की जाती है:

( i) एस. पी. जब तक शेयर रखता है, तब तक वह सभी प्रकाश परिवार के शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के बराबर शेयरों की संख्या के लिए मतदान करने में सक्षम होगा।

प्रकाश परिवार के शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों को प्रकाश परिवार के अन्य शेयरधारकों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा; और ( (ii) अनुच्छेद 16 (ख) (i) के प्रावधान किसी भी घटना के घटित होने पर वैध और प्रभावी नहीं रहेंगे।

एसपी से संबंध "।

हमें सूचित किया जाता है कि यह स्थिति वर्ष 2012 तक बनी रही, जो आपसी सहमति से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फिर से बहाल कर दिया गया।

ताकि 1996 में शामिल किए गए संशोधन अब न हों

नूड।

2.7 . शेयर पूंजी के 49 प्रतिशत का विनिवेश हुआ जैसा कि समझौता ज्ञापन के साथ-साथ एस. पी. ए. और एस. एच. ए. में निर्धारित किया गया था।

स्वयं। 2.8 . पक्षों के बीच विवाद तब पैदा हुआ जब प्रेम प्रकाश ने संजीव प्रकाश और खुद के बीच संयुक्त रूप से अपनी हिस्सेदारी स्थानांतरित करने का फैसला किया, और दया प्रकाश ने सीमा कुकरेजा और खुद के बीच संयुक्त रूप से अपनी हिस्सेदारी स्थानांतरित करने के लिए इसी तरह किया। एमओयू में निहित मध्यस्थता खंड को लागू करने वाला एक नोटिस तब संजीव प्रकाश द्वारा तीनों प्रत्यर्थियों को आईडी1 पर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दया प्रकाश के शेयरों को खरीदने के उनके पूर्व-खाली अधिकार, जैसा कि एमओयू के खंड 8 में निर्धारित किया गया था, का उल्लंघन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पक्षों और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा (इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) के बीच विवाद उत्पन्न हो गए थे, जिन्हें एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया था। सीमा कुकरेजा और दया प्रकाश द्वारा दिनांक 20.12.2019 पर दायर जवाब में बताया गया है कि समझौता ज्ञापन एसएचए, यानी 12.04.1996 की तारीख को और उसके बाद से अस्तित्व में नहीं रहा, जिसने उपरोक्त समझौता ज्ञापन को हटा दिया और उसके खंड 28.2 को ध्यान में रखते हुए इसे नया रूप दिया। इसलिए, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता खंड था क्योंकि समझौता ज्ञापन को ही हटा दिया गया था और 12.04.1996 के बाद मौजूद नहीं था। इसे देखते हुए संजीव प्रकाश ने धारा 11 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

1996 06.01.2020 दिनांकित याचिका द्वारा कार्य करें। उक्त याचिका में 09.01.2020 पर एक अंतरिम आदेश इस प्रकार पारित किया गया था:

" सभी पक्ष एजेंडा Nos.4 और 8 को स्थगित करने के लिए सहमत हैं।

बोर्ड की बैठक में 31 दिसंबर, 2019 का नोटिस 15 जनवरी, 2020 को एक और तारीख के लिए आयोजित किया जाना निर्धारित है

इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है।

2.9 . दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांकित 22.10.2020 के विवादित निर्णय द्वारा निर्धारित किया कि उसके अनुसार वह मुद्दा क्या था जिसका निर्णय पैराग्राफ 79 में किया जाना था:

" 79. इस याचिका में, मेरा विचार है, प्रारंभिक मुद्दा जो विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अनुरोध पर विचार करने के चरण में है। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का, यह केवल एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है जिसे देखने की आवश्यकता है, इसे मध्यस्थ की वैधता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाता है

समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के अनुरोध सहित समझौता। "[2021] 4 एस. सी. आर.

समझौता ज्ञापन और एसएचए दोनों का उल्लेख करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल ई ने निर्णय दिया:

" 88. जहाँ तक खंड 1 का संबंध है, वही 'कृत्रिम गतिरोध' को प्रकाश परिवार के शेयरधारकों या रॉयटर्स के खिलाफ मतदान के कारण होने वाले प्रबंधन गतिरोध के रूप में परिभाषित करता है।

उन परिस्थितियों में जारी या प्रस्ताव जहां अनुमोदित के अनुसार कंपनी के कामकाज के लिए उसी की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

योजनाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कठपालिया, श्री नायर और श्री सेठी का यह तर्क सही हो सकता है कि ऐसे समूहों के बारे में विचार किया जा रहा है। एस. एच. ए. के तहत प्रकाश परिवार के सदस्य और रायटर, लेकिन यही गतिरोध की एक विशेष तथ्य स्थिति में है, तो प्रकाश परिवार के सदस्य और रायटर 'ब्लॉक' के रूप में कार्य करते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि एस. एच. ए. प्रकाश परिवार के शेयरधारकों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा, शुरुआती पैराग्राफ के अनुसार, 'पार्टियां' शब्द प्रकाश परिवार के शेयरधारकों दोनों की परिकल्पना करता है।

व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। XXX XXX XXX

" 90. इसलिए एस. एच. ए. के प्रारंभिक पैराग्राफ के साथ खंड 28.2 के संयुक्त पठन का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि खंड 28.2 में 'पक्षों के बीच' के रूप में विस्तृत किसी भी प्रकार का समझौता खंड 28.2 के अनुसार निरस्त हो जाएगा। इसलिए, यह शेयरधारकों का अनुसरण करता है। एस. एच. ए. के अंतर्गत पक्षकारों के रूप में व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्राप्त होने के कारण, प्रकाश परिवार के अंतर-व्यक्तिगत अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए समझौता ज्ञापन, एक समझौते को निरस्त कर दिया जाता है। यह एल. डी. का मामला नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एसएचए प्रकाश परिवार के सदस्यों/शेयरधारकों के अंतर-अधिकारों से नहीं निपटता है। श्री नायर की यह दलील कि रॉयटर्स द्वारा शेयर खरीदने से पहले प्रकाश परिवार ने अपनी पारिवारिक व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया था और इसलिए एसएचए द्वारा इसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, अपील करने वाली नहीं है। सदस्यों को कुछ भी नहीं रोकता था

प्रकाश परिवार एसएचए में एक शर्त शामिल करेगा कि एसएचए, एमओयू का स्थान नहीं लेगा, जैसा कि खंड 28.2 में सहायक समझौतों और शेयर खरीद के संबंध में विशेष रूप से कहा गया है।

समझौता। श्री नायर की दलील है कि वर्तमान विवाद

लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल द्वारा कंपनी का निपटारा किया जाएगा अंग्रेजी कानून के अनुसार मध्यस्थता, भारतीय कानून से बाहर अनुबंध संजीव प्रकाश बनाम है।

सार्वजनिक नीति का विरोध भी इस तरह के मुद्दे के रूप में आकर्षक नहीं है द्वारा दायर की गई इन कार्यवाहियों में उत्पन्न नहीं होता है

समझौता ज्ञापन का आह्वान करना। न ही इस तरह की याचिका समझौता ज्ञापन को पुनर्जीवित करेगी, जिसे एसएचए ने नया रूप दिया है।

इसके बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 "अनुबंध अधिनियम" की धारा 62 और भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों को निर्धारित किया गया।किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। , ( 1960 ) 1 एस. सी. आर. 493 [किशोरीलाल गुप्ता], दामोदर घाटी निगम बनाम। के. के. कर (1974) 1 एस. सी. सी. 141

" दामोदर घाटी निगम "], और यंग अचीवर्स बनाम। आईएमएस

लर्निंग रिसोर्सेज (पी) लिमिटेड, (2013) 10 एस. सी. सी. 535 ["यंग अचीवर्स"], विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब निष्कर्ष निकाला:

" 98. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता समझौते/खंड वाले अनुबंध के नवीकरण के प्रभाव से संबंधित कानून अच्छी तरह से तय है। एक मध्यस्थता समझौता एक समझौते का निर्माण होने के कारण समझौते द्वारा नष्ट किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि अनुबंध किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो मध्यस्थता खंड, जो पहले के अनुबंध का एक घटक/हिस्सा है, उसके साथ आता है या यदि मूल अनुबंध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, तो मध्यस्थता खंड, जो इसका एक हिस्सा है, भी इसके साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए, समझौता ज्ञापन का मध्यस्थता खंड, खंड 12 होने के नाते, समझौता ज्ञापन के साथ समाप्त हो जाने के कारण, समझौता ज्ञापन के तहत मध्यस्थता का आह्वान गलत है/उचित नहीं है।

99. उपरोक्त मेरे निष्कर्ष को देखते हुए, 'कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़' के सिद्धांत की याचिका और अधिनियम की धारा 11 (6ए) पर निर्भरता असमर्थनीय है। मैंने याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी विचार किया है। डचूरो फेलगुएरा एस. ए. [डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एस. सी. सी. 729], मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड [मायावती

ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन, (2019) 8 एस. सी. सी. 714], जोस्टेल हॉस्पिटैलिटी [जोस्टेल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. ओरावेल स्टेज़ प्रा. लिमिटेड, अरब। पेट। 28/2018 ] , ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. नरभेरम पावर एंड स्टील प्रा. लिमिटेड, (2018) 6 एस. सी. सी. 534], वोडाफोन [वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम। भारत संघ, (2012) 6 एस. सी. सी. 613]

उत्तराखंड पूर्व सैनिक [उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण]

निगम लिमिटेड बनाम। उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड, (2020) 2 एस. सी. सी. 455], रसेल [रसेल बनाम। उत्तरी बैंक विकास निगम। लिमिटेड, (1992) बी. सी. सी. 578] और एंडरसन [कैथरीन एंडरसन बनाम।

भाटिया, (2019) 11 एस. सी. सी. 299], और वही लागू नहीं हैं

हाथ में मामला "।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने प्रकाश परिवार के बीच समझौता ज्ञापन पर दृढ़ता से भरोसा किया और इस तथ्य पर जोर दिया कि यह एक पारिवारिक समझौता या व्यवस्था थी जिसने पक्षों के बीच एक विशेष समानता को बढ़ाया और इसे केवल संविदात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं माना जा सकता था, जिसे इस न्यायालय के कई निर्णयों के अनुसार लागू किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने काले v के पैराग्राफ 9 में निहित टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया। डिप्टी

समेकन निदेशक, (1976) 3 एस. सी. सी. 119 ["काले"], जैसा कि रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड में अनुसरण किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ( 2010 ) 7 एस. सी. सी. 1 (पैराग्राफ 49 और 50 पर)। विशेष रूप से, उन्होंने इस तथ्य पर भरोसा किया कि यह अपीलकर्ता था जो कंपनी के जबरदस्त विकास के लिए जिम्मेदार था, और यह उनके प्रयासों से है कि रॉयटर्स ने कंपनी की शेयर पूंजी का 49 प्रतिशत खरीदकर बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया। यही कारण है कि समझौता ज्ञापन में खंड 8 के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है।

कि यदि तीन उत्तरदाताओं में से कोई भी कंपनी में अपने इक्विटी शेयरों को बेचना या वसीयत करना चाहता है, तो उनके शेयरों की पेशकश/बिक्री/वसीयत केवल अपीलार्थी या उसके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों को की जा सकती है। अतः समझौता ज्ञापन में निहित मध्यस्थता खंड लागू होगा, 1996 का अधिनियम वह अधिनियम है जिसके तहत मध्यस्थता को प्रभावी करना होगा। इसके बाद उन्होंने एसएचए के विभिन्न खंडों को पढ़ा और खंड 12.1 (ए) पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसमें यह सहमति बनी कि अगर रॉयटर्स को कंपनी में अपने किसी भी हिस्से का विनिवेश करना होगा, तो वह अन्य शेयरधारकों से अपनी हिस्सेदारी को ऐसे अनुपात में खरीदने का हकदार होगा, जिस पर "उनके बीच या अन्यथा सहमति हुई थी", जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश परिवार के बीच समझौता ज्ञापन को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया था।

उपरोक्त खंड द्वारा संरक्षित और संरक्षित किया गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल भारत में रहने वाले और काम करने वाले परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए।

लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नियमों के साथ, जो परिणाम होगा यदि एस. एच. ए. समझौता ज्ञापन का स्थान लेगा। वह था।

यह इंगित करने के लिए भी दर्द होता है कि एस. एच. ए. के खंड 28 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और खंड 28.1 ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूरे समझौते और एस. एच. ए., एस. पी. ए. और सहायक समझौतों में निहित पक्षों के बीच समझ केवल "उसके विषय के संबंध में" थी, इन समझौतों का विषय प्रकाश परिवार और रायटर के बीच संबंध था, जो समझौता ज्ञापन के विषय से पूरी तरह से अलग था, जो संजीव प्रकाश बनाम था।

सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

केवल प्रकाश परिवार के सदस्यों के बीच, रॉयटर्स एक पार्टी नहीं है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने बार्कलेज बैंक पीएलसी बनाम में निहित निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया। यूनिक्रेडिट बैंक एजी एंड एनोर,

[ 2014 ] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 302 (पैराग्राफ 27 और 28 पर), संघीय गणराज्य नाइजीरिया बनाम। जेपी मॉर्गन चेस बैंक, एनए, [2019] ईडब्ल्यूएचसी 347 (कॉम) (पैराग्राफ 37 पर), और किनसेला और एनोर बनाम। इमासन एजी और एनोर, [2019] ईडब्ल्यूएचसी 3196 (सीएच) (पैराग्राफ 64 से 71 पर)। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इन निर्णयों को पढ़ने से,

जब तक कि एक प्रत्यक्ष मामला नहीं बनाया गया था कि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं था, तब तक एक धारा 11 अदालत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगी और अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के तहत एक अनुबंध के नवीनीकरण से संबंधित तथ्य और कानून के जटिल प्रश्नों को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। 4. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने श्री विश्वनाथन की दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने हमें समझौता ज्ञापन, एस. पी. ए. और एस. एच. ए. के लिए संदर्भित किया, और काले (ऊपर) में टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया जो रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम में अनुसरण किए गए थे। मंजीत कौर, (2020) 9 एस. सी. सी. 706 (पैराग्राफ 25 से 28 पर)। उन्होंने तर्क दिया कि समझौता ज्ञापन के पक्ष न केवल एसएचए से अलग थे, बल्कि समझौता ज्ञापन ने स्वयं विचार किया कि प्रकाश परिवार रॉयटर्स के साथ एक अलग समझौता करेगा ताकि [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रॉयटर्स द्वारा कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद को प्रभावी बनाना,

यह दर्शाता है कि समझौता ज्ञापन और समझौते

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अविष्कार सिंघवी और श्री माणिक डोगरा ने इस तथ्य पर बहुत भरोसा किया कि समझौता ज्ञापन को तुरंत हटा दिया गया था, क्योंकि इसके कुछ भौतिक खंडों को 14.05.1996 पर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डालने के बाद यह अस्तित्व में नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समझौता ज्ञापन को कभी भी प्रभावी नहीं बनाया गया क्योंकि दया प्रकाश, जो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, ने इस तरह से काम जारी नहीं रखा, लेकिन प्रबंधन को संजीव प्रकाश को सौंप दिया, जो एसएचए में प्रवेश के तुरंत बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक बने। उन्होंने तब बताया कि, किसी भी मामले में, 2012 के बाद, यह भी अनुच्छेद के रूप में नहीं रहा। एसोसिएशन को तब संजीव प्रकाश की सहमति से संशोधित किया गया था ताकि पहले के लेखों में जो शामिल किया गया था उसे अब शामिल नहीं किया जा सके।

1996 के संशोधन के बाद। उन्होंने यह भी बताया कि उसी दिन, यानी 05.10.2019 पर, जैसे प्रेम प्रकाश ने संजीव प्रकाश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाने वाली कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की मांग की थी और

स्वयं दया प्रकाश ने भी ऐसा ही किया और सीमा कुकरेजा और खुद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाने वाली कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की मांग की। संजीव प्रकाश की तब पहली प्रतिक्रिया एक नए समझौता ज्ञापन पर भरोसा करने के लिए नहीं थी, बल्कि इस दलील पर विचार करने के लिए थी कि दस्तावेज़ पर मुहर नहीं लगाई जानी चाहिए।

सबूत में नहीं लिया जाना चाहिए। यह केवल एक विचार के रूप में है कि समझौता ज्ञापन के खंड 8 पर तब भरोसा किया गया था। दोनों विद्वान वकीलों ने एस. एच. ए. के खंड 11.2 पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि समझौता ज्ञापन रद्द कर दिया गया है। वे तब निर्णयों पर निर्भर थे

ऑनलाइन डेल 702: ( 2005 ) 83 डी. आर. जे. 246 (पैराग्राफ 5,7 और 8 पर), इस प्रस्ताव के लिए कि समझौता ज्ञापन किसी निजी कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण पर किसी भी प्रतिबंध के रूप में कानून में अप्रवर्तनीय होगा, इसके अनुच्छेदों में उल्लिखित, अमान्य होगा जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद संजीव प्रकाश बनाम।

सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

केवल संगठन पर ही ध्यान देना होगा। यह मामला होने के कारण, एक समझौते में निहित मध्यस्थता खंड जो स्पष्ट रूप से शून्य है

देखा नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए इस न्यायालय के कुछ हाल के फैसलों का उल्लेख किया कि वर्तमान मामला एक खुला और

सबसे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दायर धारा 11 याचिका को खारिज करने में सही था।

6. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 ["2015 संशोधन अधिनियम"] के आधार पर, जिसके द्वारा धारा 11 (6ए)

धारा 11 के तहत अदालत की शक्तियों के दायरे के बारे में पहले की स्थिति, एक मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय, अब यह देखने के लिए संकुचित हो गई है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। इस विषय पर कानून के क्रमिक विकास में, डचूरो फेलगुएरा (ऊपर) और मायावती ट्रेडिंग (ऊपर) के फैसलों को विद्या ड्रोलिया बनाम में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कुछ विस्तार से समझाया गया था। दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1 ["विद्या द्रोलिया"]। जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, यह निष्कर्ष निकालना महत्वपूर्ण है

विद्या द्रोलिया (ऊपर) के पैराग्राफ 127 से 130, जो किशोरीलाल गुप्ता (ऊपर) और दामोदर घाटी के फैसलों से संबंधित हैं।

निगम (उपर्युक्त), जिन दोनों पर विवादित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है, निम्नानुसार है:

" 127. एक दिलचस्प और प्रासंगिक व्याख्या, जब किसी विरोधी पक्ष द्वारा खंडन, त्याग या "समझौते और संतुष्टि" का दावा करने वाले दावे किए जाते हैं, तो दामोदर घाटी निगम में पाया जाता है। वी. के. के. कर [दामोदर घाटी निगम। वी. के. के. कर, (1974) 1 एस. सी. सी. 141], जिसने भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय का उल्लेख किया था। किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। [ भारत संघ बनाम। किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। , ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1362] का निरीक्षण करने के लिए: ( दामोदर घाटी निगम। मामला [दामोदर घाटी]

कॉर्प. वी. के. के. कर, (1974) 1 एस. सी. सी. 141], एस. सी. सी. पीपी। 147-48 , पैरा

11 )

" 11. प्रासंगिक मामला कानून की समीक्षा के बाद, जे. सुब्बा राव, जैसा कि वे उस समय थे, ने बहुमत के लिए बोलते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया: ( किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। मामला [संघ का

भारत बनाम. किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। , ए. आई. आर 1959 एस. सी. 1362], ए. आई. आर

पी। 1370 , पैरा 10)

' ( 1 ) एक मध्यस्थता खंड एक अनुबंध की संपार्श्विक अवधि है जो इसकी मूल शर्तों से अलग है; लेकिन फिर भी [2021] 4 एस. सी. आर.

यह इसका एक अभिन्न अंग है; (2) मध्यस्थता खंड की शर्तें चाहे कितनी भी व्यापक क्यों न हों, अनुबंध का अस्तित्व उसके संचालन के लिए एक आवश्यक शर्त है; यह अनुबंध के साथ समाप्त हो जाता है; (3) अनुबंध इस अर्थ में अमान्य हो सकता है कि यह कानूनी रूप से कभी अस्तित्व में नहीं आया या यह शुरुआत से ही अमान्य था; (4) हालांकि अनुबंध को वैध रूप से निष्पादित किया गया था, पक्षकार इसे इस तरह समाप्त कर सकते हैं जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। और इसके लिए केवल उनके अधिकारों और देनदारियों को नियंत्रित करने वाले एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करें; (5) पहले मामले में, यदि मूल अनुबंध का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, तो मध्यस्थता खंड भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मूल अनुबंध के साथ, यह भी शून्य है; बाद के मामले में, क्योंकि मूल अनुबंध प्रतिस्थापित अनुबंध द्वारा समाप्त हो जाता है, मूल अनुबंध का मध्यस्थता खंड इसके साथ नष्ट हो जाता है; और (6) दोनों के बीच एक अनुबंध के संबंध में विवादों की कई श्रेणियां आती हैं, जैसे कि अस्वीकृति, हताशा, उल्लंघन आदि का सवाल। इन मामलों में यह

उस अनुबंध का निष्पादन जो समाप्त हो गया है, लेकिन अनुबंध अभी भी उसके तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में है। जिस तरह से

अनुबंध कुछ उद्देश्यों के लिए रहता है, मध्यस्थता खंड इन उद्देश्यों के संबंध में काम करता है।

उन मामलों में, जैसा कि हमने पहले कहा है, यह है

उस अनुबंध का निष्पादन जो समाप्त हो गया है लेकिन अनुबंध अभी भी उसके तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में है। हम सोचते हैं कि जैसा कि अनुबंध कुछ उद्देश्यों के लिए रहता है, मध्यस्थता खंड इन उद्देश्यों के संबंध में काम करता है।

128. दामोदर घाटी निगम में संदर्भ। मामला [दामोदर घाटी निगम। वी. के. के. कर, (1974) 1 एस. सी. सी. 141] को भी बनाया गया था

किशोरीलाल गुप्ता एंड ब्रदर्स में सरकार, जे. का अल्पमत निर्णय। [ भारत संघ बनाम। किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। , ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1362] ने यह मत व्यक्त किया कि वह केवल मध्यस्थता खंड पर समझौते के प्रभाव पर बहुमत से असहमत थे, क्योंकि उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया था कि मध्यस्थता खंड इस विवाद को निपटाने के लिए जीवित है कि क्या कोई "समझौता और संतुष्टि" थी या नहीं। यह आगे देखा गया कि सरकार, जे. द्वारा निर्धारित यह सिद्धांत कि "समझौता और संतुष्टि" मध्यस्थता खंड, संजीव प्रकाश बनाम को समाप्त नहीं करता है।

सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.] बहुमत से असहमत नहीं थे। दूसरी ओर, प्रस्ताव (6) सरकार, जे. के विचारों पर भार डालता प्रतीत होता है। ये निर्णय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत थे। द.

मध्यस्थता अधिनियम विशेष रूप से पृथक्करण और क्षमता के सिद्धांतों को शामिल करता है-क्षमता और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सशक्त बनाता है

अपने अधिकार क्षेत्र में शासन करना। 129. सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांतों के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ होते हैं। एक सकारात्मक निहितार्थ के रूप में, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने और गैर-मध्यस्थता प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा सक्षम और अधिकृत घोषित किया जाता है। व्यक्त नकारात्मक प्रभाव के मामले में, क़ानून शासन करेगा और इसका पालन किया जाना चाहिए। निहित नकारात्मक प्रभाव आवश्यक रूप से रेफरल चरण में अदालत द्वारा हस्तक्षेप को कम करता है और बाधित करता है

माध्यस्थम न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता के बारे में निर्णय लेने और गैर-मध्यस्थता प्रश्नों पर निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए निहितार्थ। नकारात्मक प्रभाव के अनुसार, रेफरल स्तर पर अदालतों को गुण-दोष पर निर्णय नहीं लेना है, सिवाय इसके कि जब कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अनुमति दी जाए, तो ऐसे गैर-मध्यस्थता के प्रश्न।

न्यायालयों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण की ऐसी प्राथमिकता आंशिक और सीमित हो सकती है जब कानून कुछ या कुछ के लिए प्रावधान करता है।

"फर्स्ट लुक" रेफरल चरण में सीमित जांच। इसलिए हम सक्षमता के सिद्धांतों की जांच करेंगे-सक्षमता

कानून का संदर्भ, यानी मध्यस्थता अधिनियम। 130. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (1) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को एक निर्णय सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिए स्वीकार करती है और सशक्त बनाती है।

मध्यस्थता समझौते की वैधता सहित गैर-मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में आपत्तियों पर। एक पार्टी विरोध कर रही है

उप-धारा (2) के अनुसार, मध्यस्थता को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर आपत्ति उठानी चाहिए, बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं। हालांकि,

नियुक्ति प्रक्रिया में भागीदारी या मध्यस्थ की नियुक्ति किसी भी पक्ष को अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाने से नहीं रोकेगी और पूर्वाग्रह नहीं करेगी। जाहिर है, इसका उद्देश्य विलंब को कम करना और मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति में तेजी लाना है। खंड अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति अधिकार क्षेत्र और गैर-मध्यस्थता के मुद्दे और प्रश्न से अलग है। उप-धारा (3) के अनुसार, कोई भी आपत्ति कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे से अधिक है, जल्द से जल्द [2021] 4 एस. सी. आर. के रूप में उठाई जानी चाहिए।

बात उठती है। तथापि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण, उप-धारा के अनुसार

( 4 ) , उप-धारा (2) और (3) में निर्दिष्ट अवधियों से परे अधिकारिता की कमी के संबंध में एक याचिका को स्वीकार करने के लिए सशक्त है यदि वह

यह मानते हुए कि देरी उचित है। उप-धारा (5) के अधिदेश के अनुसार जब उप-धारा (2) और (3) के तहत अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण जारी रख सकता है।

कार्यवाही करता है और मध्यस्थता पुरस्कार पारित करता है। पीड़ित पक्ष को इस तरह के मध्यस्थता को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार। धारा 8 की उप-धारा (3) विशिष्ट शब्दों में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने और निर्णय देने की अनुमति देती है, भले ही धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन अदालत/मंच के विचार के लिए लंबित हो। इसलिए, न्यायालय के समक्ष भी न्यायिक कार्यवाही का लंबित रहना अपने आप में कोई बाधा नहीं है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण आगे बढ़ेगा और एक निर्णय देगा। क्या न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए या मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा उचित सम्मान स्पष्ट रूप से अलग-अलग पहलू हैं और इसके लिए नहीं हम वर्तमान संदर्भ में विस्तार से बताएँ।

पुनः, जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, उपरोक्त निर्णय का अनुच्छेद 148 उपयुक्त है और निम्नानुसार कहता हैः

" 148. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 (1) में कहा गया है कि सीमा अधिनियम, 1963 मध्यस्थता पर लागू होगा जैसा कि यह अदालत पर लागू होता है।

कार्यवाही। उप-धारा (2) में कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम और सीमा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा कि मध्यस्थता धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि से शुरू हुई थी। सीमा कानून प्रक्रियात्मक है और आम तौर पर विवाद, तथ्यात्मक होने के कारण, मध्यस्थ को पाए गए तथ्यों और लागू कानून द्वारा निर्देशित निर्णय लेना होगा। रेफरल स्तर पर अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब यह स्पष्ट हो कि दावे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित और मृत हैं, या कोई विवाद नहीं है। अन्य सभी मामलों को गुण-दोष पर निर्णय के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। विवादित "ना-दावा प्रमाणपत्र" या नए सिरे से और "समझौते और संतुष्टि" के अनुरोध पर बचाव के मामले में भी यही स्थिति होगी। जैसा कि प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड [फिली शिपिंग कंपनी लिमिटेड] में देखा गया है।

वी. प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 2007 यूकेएचएल 40: 2007 बस एल. आर. 1719 (एच. एल.)], यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वाणिज्यिक लोग लेनदेन में प्रवेश करते समय जानबूझकर एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करेंगे जिसके लिए आवश्यक होगा कि अदालत को पहले यह तय करना चाहिए कि क्या संजीव प्रकाश बनाम।

सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.] अनुबंध को ठीक किया जाना चाहिए या टाल दिया जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, और फिर यदि अनुबंध को वैध माना जाता है, तो इसके लिए मध्यस्थ को उन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होगी जो उत्पन्न हुए हैं।

( जोर दिया गया)

7. हाल ही में एक निर्णय, प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. गैलेक्सी

और इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 190 ने पैराग्राफ 15 से 18 में विद्या द्रोलिया (ऊपर) को निम्नानुसार संदर्भित किया है:

" 15. धारा 8 के तहत "प्रथम दृष्टया" जांच से निपटने के लिए, जैसा कि संशोधित किया गया है, अदालत ने तब निर्णय दिया [विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एससीसी 1]:

" 134. प्रथम दृष्टया जाँच पूर्ण समीक्षा नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से गैर-मौजूद और अमान्य मध्यस्थता समझौतों और गैर-मध्यस्थता विवादों को समाप्त करने के लिए एक प्राथमिक पहली समीक्षा है। संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटना और सीधे मामलों में साइड शाखाओं को काटना है जहां बर्खास्तगी नंगे चेहरे और पेलुसिड है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमेबाजी को पहले चरण में रोकना चाहिए। केवल तभी जब न्यायालय निश्चित हो कि कोई वैध मध्यस्थता नहीं है समझौता मौजूद है या विवाद/विषय-वस्तु मध्यस्थ नहीं हैं, धारा 8 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस स्तर पर अदालत को झाड़ियों में नहीं भटकना चाहिए और फैसला नहीं करना चाहिए

तथ्यों के विवादास्पद प्रश्न। रेफरल कार्यवाहियाँ हैं

प्रारंभिक और सारांश, न कि एक लघु परीक्षण। यह अनिवार्य रूप से न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति और इस संदर्भ में बी. एन. की टिप्पणियों को दर्शाता है। श्रीकृष्णा, शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड में "स्पष्ट रूप से बहस योग्य" मामले के जे. [शिन एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम। अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड, (2005) 7 एस. सी. सी. 234] महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। इसी तरह के विचार हैं

इस न्यायालय द्वारा विमल किशोर शाह [विमल किशोर शाह बनाम। जयेश दिनेश शाह, (2016) 8 एस. सी. सी. 788 (2016) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 303] जिसमें पूर्व-मध्यस्थता चरण में लागू परीक्षण यह था कि क्या मध्यस्थता के लिए कोई "अच्छा तर्क योग्य मामला" है। मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व।

16. तब धारा 8 और 11 के तहत समीक्षा के मानदंड थे

इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 138. भारतीय संदर्भ में, हम सम्मानपूर्वक अपनाएँगे

बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड में तीन श्रेणियाँ। बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघरा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267: ( 2009 ) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 117] मुद्दों की पहली श्रेणी,

अर्थात्, क्या पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या संदर्भ के लिए आवेदन करने वाला पक्ष इस तरह के समझौते का पक्षकार है, यह मध्यस्थ के लिए दूसरी और तीसरी श्रेणियों/मुद्दों की तुलना में अधिक गहन जांच के अधीन होगा, जो असाधारण मामलों को छोड़कर, अनुमानित रूप से हैं। तय करने के लिए। पहली श्रेणी में, हम इस सवाल या मुद्दे को जोड़ेंगे और शामिल करेंगे कि क्या कार्रवाई का कारण व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई से संबंधित है या नहीं; क्या विवाद का विषय-वस्तु तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है, इसका प्रभाव सर्वोपरि है, केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता है; क्या विषय-वस्तु अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित है।

राज्य; और क्या विवाद का विषय स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अनिवार्य के अनुसार गैर-मध्यस्थ है।

कानून (ओं)। इस तरह के सवाल शायद ही कभी उठते हैं और जब वे उठते हैं, तो ज्यादातर मौकों पर कानून के सवाल होते हैं। दूसरी ओर, अनुबंध निर्माण, अस्तित्व, वैधता और गैर-मध्यस्थता से संबंधित मुद्दों को अनुबंध के साथ जोड़ा और जोड़ा जाएगा।

संबंधित विवादों/दावों के गुण-दोषों में अंतर्निहित मुद्दे। वे तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय लेना होगा।

139. हम बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना चाहेंगे, हालांकि यह देखते हुए कि अदालत वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकती है।

इस बात के प्रति सचेत रहते हुए कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में सहायता करने के लिए है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़पने के लिए नहीं है, एक गहन लेकिन संक्षिप्त प्रथम दृष्टया समीक्षा का संचालन करना। रेफरल स्तर पर एक विस्तृत पूर्ण समीक्षा या एक लंबी समीक्षा करने से विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावशीलता को कम करने में बाधा आएगी और देरी होगी। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रथम दृष्टया

जाँच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है।

न्यायालय का ए. एन. जी. आई. वी. प्रकाश बनाम। सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

चुनौती सही मात्रा और संदर्भ का पता लगाना है जब यह प्रथम दृष्टया मामले की जांच करेगा या संयम का प्रयोग करेगा। कानूनी आदेश को रेफरल स्तर पर मध्यस्थता बाधा रणनीति से बचने और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाने के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता होती है जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी होता है।

क्षमता-क्षमता "पेपरडाइन विवाद समाधान लॉ जर्नल, 2013, वॉल्यूम। 13. ]

140. तदनुसार, जब यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया समीक्षा

अनिर्णायक होगा, या अपर्याप्त माने जाने पर क्योंकि यह विस्तृत जाँच की आवश्यकता है, मामले को पक्षों द्वारा चुने गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

सहमति से। अंतर्निहित तर्क देरी या स्थगन नहीं करना और विलंब और बाधा डालने के लिए एक चाल के रूप में रेफरल कार्यवाही का उपयोग करने से पक्षों को हतोत्साहित करना है। ऐसे मामलों में इस स्तर पर अदालतों द्वारा पूरी समीक्षा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी और अदालतों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच अधिकार क्षेत्र आवंटित करने वाली विधायी योजना का उल्लंघन करेगी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ प्राथमिक और प्रथम न्यायनिर्णायक के रूप में मुकदमे का केंद्रीकरण लाभकारी है क्योंकि इससे मुकदमेबाजी में तेजी लाने में मदद मिलती है।

और विवादों का कुशल समाधान।

7. न्यायालय ने तब अभिव्यक्ति के अर्थ की जांच की

अस्तित्व "जो धारा 11 (6ए) में आता है और इसके आघात का सारांश इस प्रकार है:

" 146. अब हम इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या धारा 11 में "अस्तित्व" शब्द केवल अनुबंध गठन (क्या कोई मध्यस्थता समझौता है) को संदर्भित करता है और प्रवर्तन (वैधता) के प्रश्न को बाहर करता है और इसलिए बाद वाला निर्देश स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर यह संभव है कि

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बीच अंतर करें और मध्यस्थता समझौते की वैधता। इस तरह की व्याख्या

शब्द के सादे अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं " अस्तित्व "। हालाँकि, न्यायशास्त्र और प्रासंगिकता पर यह मानना भी समान रूप से संभव है कि किसी समझौते में कोई समझौता नहीं है।

अस्तित्व यदि यह प्रवर्तनीय नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध समझौते का अनुमान लगाता है जिसे अदालत द्वारा पक्षों को [2021] 4 एस. सी. आर. में भेजकर लागू किया जाएगा।

जब तक कि पक्षों को शर्तों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एक पक्ष मुकदमा नहीं कर सकता है और एक के आधार पर अधिकारों का दावा कर सकता है अप्रवर्तनीय दस्तावेज़। इस प्रकार, यह मानने के लिए अच्छे कारण हैं कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और अप्रवर्तनीय समझ कुछ भी करने के लिए कोई समझौता नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ है एक मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह कानून में लागू करने योग्य होता है।

147. हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे और आगे के कारण देंगे:

147.1 . गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड में [गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम। तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019)

9 एससीसी 209: ( 2019 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 324], इस न्यायालय ने एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टाम्प शुल्क के प्रश्न की जांच की थी मध्यस्थता खंड और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया गया था, हालांकि मध्यस्थता समझौते के "अस्तित्व" और "वैधता" के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियाँ उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हम इसके पैरा 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे: ( एस. सी. सी पी. 238)

" 29. हुंडई इंग में यह निर्णय। मामला [संयुक्त भारत]

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंग। & निर्माण कार्य

कं. लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607: ( 2019 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 530] इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से क्या विचाराधीन था। यह एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता दायित्व स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। तथ्यों के अनुसार यह था

पाया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, इसलिए नीति में, यह

कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, तथ्यों में संजीव प्रकाश बनाम।

सीमा कुकरेजा और हमारा।

[ आर. एफ. नरीमन, जे.]

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड

जो उप-अनुबंध में निहित है, वह कानून के मामले के रूप में तब तक "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा माना गया है। यह तर्क कि धारा 11 (6-ए) धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत "अस्तित्व" से संबंधित है, जो एक मध्यस्थता समझौते की "वैधता" से संबंधित है, इस न्यायालय की समझ से जवाब मिलता है।

हुंडई इंग में अभिव्यक्ति "अस्तित्व"। मामला [संयुक्त

भारत बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंग। &

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607: ( 2019 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 530], जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया जाता है।

अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं, और मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है यदि यह अवैध है या अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अमान्य समझौता कोई समझौता नहीं है।

147.2 . न्यायालय संदर्भ स्तर पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। परीक्षा ", आम बोलचाल में एक साधारण अभिव्यक्ति के रूप में,

कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार, कुछ खोजने के लिए सावधानी से कुछ देखने या विचार करने के कार्य को संदर्भित करता है। इसके लिए व्यक्ति को बारीकी से निरीक्षण करने, स्थिति का परीक्षण करने या सावधानीपूर्वक पूछताछ करने की आवश्यकता होती है (मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार)। यह.

न्यायालय के लिए यह ठहराना और यह कहना अजीब होगा कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है, हालांकि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से मध्यस्थता

समझौता कानून में अमान्य है और विचाराधीन विवाद गैर-मध्यस्थ है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और अधिकार क्षेत्र से परे कार्य नहीं करेगा, यदि वह संदर्भ के लिए एक आवेदन को अस्वीकार कर देता है, जब मध्यस्थता खंड स्वीकार किया जाता है या बिना किसी संदेह के एक नाबालिग, पागल या एकमात्र दावा एक वसीयत की जांच चाहता है।

147.3 . अधिकांश विद्वान और न्यायविद स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व और वैधता समान है। यहां तक कि स्टावरोस ब्रेकोलाकिस भी स्वीकार करते हैं कि वैधता, मूल और औपचारिक वैधता के संदर्भ में, अनुबंध के प्रश्न हैं और इसलिए अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए।

147.4 . अधिकांश क्षेत्राधिकार स्वीकार करते हैं और रेफरल स्तर पर गैर-मध्यस्थता पहलुओं पर अदालत द्वारा प्रथम दृष्टया समीक्षा की आवश्यकता होती है।

147.5 . मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 पूरक हैं।

प्रावधान जैसा कि पटेल एंग में आयोजित किया गया था। लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी. बनाम. पटेल एंग। लिमिटेड (2005) 8 एस. सी. सी. 618]। [2021] 4 एस. सी. आर. के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य

दोनों प्रावधान पक्षों को अपनी संविदात्मक समझ का पालन करने के लिए मजबूर करने और मजबूर करने के समान हैं। ऐसा होने के कारण, दोनों प्रावधानों को समान मानक निर्धारित करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग-अलग मापदंड निर्धारित करने के रूप में। धारा 11 न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का कोई मानक निर्धारित नहीं करती है।

यह निर्धारित करना कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। धारा 8 में कहा गया है कि संदर्भ के स्तर पर न्यायिक समीक्षा प्रथम दृष्टया अंतिम नहीं है। प्रथम दृष्टया मानक समान रूप से तब लागू होता है जब न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए, हम धारा 8 में वैध मध्यस्थता समझौते के अधिदेश को धारा 11 के अधिदेश में पढ़ सकते हैं, जो कि "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" है।

147.7 . सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा का प्रयोग किसी भी तरह से मध्यस्थता की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए क्षमता और अलगाव के सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि परेशान करने वाले और तुच्छ मामले प्रारंभिक चरण में समाप्त हो जाएं। 147.8 . मध्यस्थता समझौते की वैधता के बारे में न्यायिक समीक्षा की प्रथम दृष्टया शक्ति का प्रयोग लागत को बचाएगा और आपत्ति करने वाले पक्षों के उत्पीड़न को रोकेगा जब स्पष्ट रूप से कोई औचित्य नहीं है और गैर-मध्यस्थता की याचिका को स्वीकार नहीं करने का एक अच्छा कारण है। सुब्रत राय सहारा बनाम। भारत संघ [सुब्रत राय सहारा बनाम। संघ

भारत का, (2014) 8 एस. सी. सी. 470: ( 2014 ) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 424: ( 2014 ) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 712], इस न्यायालय ने कहा है: ( एस. सी. सी पी. 642, पैरा 191)

" 191. भारतीय न्याय प्रणाली बुरी तरह से पीड़ित है। तुच्छ मुकदमा। वादियों को उनके प्रति बाध्यकारी जुनून से रोकने के लिए तरीके और साधन विकसित करने की आवश्यकता है

मूर्खतापूर्ण और गलत माने जाने वाले दावे। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में, हर गैर-जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण दावे के दूसरी तरफ एक निर्दोष पीड़ित होता है। वह.

वे लंबे समय तक घबराहट और संजीव प्रकाश v से पीड़ित रहते हैं।

सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

बेचैनी, जबकि मुकदमा उसकी ओर से बिना किसी गलती के लंबित है। वह मुकदमे का भुगतान अपनी बचत (या अपने उधार से) से इस चिंता के साथ करता है कि दूसरा पक्ष उसे बिना किसी गलती के हार के लिए धोखा दे सकता है। वह वकील को जानकारी देने और उन्हें अपने दावे के लिए तैयार करने में अमूल्य समय बिताता है। जिस समय को उसे काम पर या अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए था, वह बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाता है। क्या एक वादी को बिना किसी गलती के खोए हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जानी चाहिए? विधायिका के लिए सुझाव यह है कि एक वादी जो सफल हुआ है, उसे उस व्यक्ति द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए जो हार गया है। विधायिका को सुझाव है कि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जो कोई भी व्यक्ति जो मुकदमेबाजी शुरू करता है और जारी रखता है, उसके लिए समझदारी से भुगतान करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि विधायिका को एक संहिता लागू करने पर विचार करना चाहिए।

अनिवार्य लागत "।

147.9 . यहां तक कि डचूरो फेलगुएरा [डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729: ( 2017 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764], कुरियन जोसेफ, जे., ने पैरा 52 में धारा 7 (5) का उल्लेख किया था और उसके बाद पैरा 53 में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया गया था।

एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड [एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम। सोम दत्त

बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एस. सी. सी. 696: ( 2009 ) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 271] यह अवलोकन करने के लिए कि उक्त मामले में विश्लेषण अंतिम का समर्थन करता है

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उक्त मामले में समझौता ज्ञापन में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था। इसके बाद, संदर्भ

विशेष रूप से पटेल एंग के लिए बनाया गया था। लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी. बनाम. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] और बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड। बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड,

( 2009 ) 1 एससीसी 267: ( 2009 ) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 117] यह अवलोकन करने के लिए कि न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करने के लिए विधायी नीति आवश्यक है पूर्व-मध्यस्थता चरण और यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) का इरादा था। डुरो में पैरा 48

फेलगुएरा [डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड,

( 2017 ) 9 एससीसी 729: ( 2017 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764] विशेष रूप से कहता है कि संकल्प मध्यस्थता समझौते में मौजूद होना चाहिए, और यह

अदालत को यह देखना है कि क्या समझौते में कोई खंड है जो उन विवादों के मध्यस्थता का प्रावधान करता है जो दोनों के बीच उत्पन्न हुए हैं। दलों को। पैरा 59 अधिक प्रतिबंधात्मक है और न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या मध्यस्थता समझौता कुछ और मौजूद नहीं है।

कुछ कम नहीं। अन्य निष्कर्षों के साथ पढ़ें, यह उपयुक्त होगा [2021] 4 एस. सी. आर.

दो पैराग्राफ को उस कानूनी अनुपात को निर्धारित करने के रूप में पढ़ने के लिए जो अदालत को यह देखने के लिए आवश्यक है कि क्या अंतर्निहित अनुबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों के मध्यस्थता के लिए एक मध्यस्थता खंड है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। पटेल इंग में निर्णयों का संदर्भ। लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी. वी. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] और बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड। बोघरा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267: ( 2009 ) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 117] को इस बात पर प्रकाश डालना था कि संदर्भ स्तर पर, 2016 के अधिनियम 3 के संशोधनों के बाद, अदालत

दोनों निर्णयों में उजागर किए गए विभिन्न पहलुओं में न जाएं और अंत में निर्णय न लें।

147.10 . गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड मामले के अलावा [गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम। तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी 209: ( 2019 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 324], नरभेरम पावर एंड स्टील (पी) लिमिटेड [ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड वी. नरभेरम पावर एंड स्टील (पी) लिमिटेड, (2018) 6 एससीसी 534: ( 2018 ) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 484] और हुंडई इंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. हुंडई इंग।

& कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607: ( 2019 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 530], तीन न्यायाधीशों के दोनों निर्णयों ने बीमा अनुबंधों में संदर्भ के लिए आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया है कि दावा मध्यस्थता समझौते से परे था और इसमें शामिल नहीं था। न्यायालय ने महसूस किया कि कानूनी स्थिति संदेह से परे थी क्योंकि

मध्यस्थता खंड का दायरा पूरी तरह से वल्कन बीमा कंपनी लिमिटेड [वल्कन बीमा कंपनी] में कथन द्वारा कवर किया गया था। लिमिटेड वी. महाराज सिंह, (1976) 1 एस. सी. सी. 943] इसी तरह, पी. एस. ए. मुंबई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड [पी. एस. ए. मुंबई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (2018) 10 एस. सी. सी. 525: ( 2019 ) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1], यह न्यायालय निर्देश स्तर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता खंड लागू नहीं होगा और विवादों को नियंत्रित करेगा। तदनुसार, मध्यस्थ का संदर्भ

न्यायाधिकरण को प्रतिवादी को एक उपयुक्त मंच के समक्ष अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया था। 147.11 . व्याख्या योग्यता के आधार पर विवादों को तय करने के लिए रेफरल स्तर पर अदालत और मध्यस्थों के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के बीच निर्णय लेने के अधिकार के आवंटन को उचित रूप से संतुलित करती है। न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायिक मंच के रूप में संजीव प्रकाश बनाम की जांच करने और उसे खारिज करने के लिए परीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रत्यक्ष रूप से निरर्थक, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी। अदालतों का सीमित अधिकार क्षेत्र रेफरल स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर त्वरित, संवेदनशील और कुशल निपटान सुनिश्चित करता है।

18. अंततः पीठ ने निष्कर्ष निकाला:

क्षेत्राधिकार और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों का निर्णय लेना। 154. "मध्यस्थता कौन तय करता है?" शीर्षक के तहत चर्चा। इसे निम्नानुसार क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है:

154.1 . पटेल इंग में निर्णय का अनुपात। लिमिटेड [एस. बी. पी. और

को. वी. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] धाराओं के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर।

8 या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11,2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधनों के बाद (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि 2019 के अधिनियम 33 द्वारा संशोधनों के बाद (9-8-2019 से प्रभावी), अब लागू नहीं है। 154.2 . मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और अधिकारिता का दायरा समान है लेकिन बेहद सीमित और प्रतिबंधित है।

154.3 . 2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश और पृथकता और क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को देखते हुए सामान्य नियम और सिद्धांत यह है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है। न्यायालय को धारा के उपखंड (i), (ii) या (iv) के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी बार देखने" की शक्ति प्रदान की गई है।

34 ( 2 ) ( क) या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ख) का उपखंड (i)।

154.4 . शायद ही कभी एक अवरोधक के रूप में न्यायालय धारा 8 या 11 के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित हो कि

मध्यस्थता समझौता गैर-मौजूद, अमान्य या विवाद गैर-मध्यस्थ हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेगा। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा पक्षकारों की जाँच करने और उन्हें मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से बचाने के लिए है जब मामला है

स्पष्ट रूप से "गैर-मनमाने" और डेडवुड को काटने के लिए। न्यायालय स्वाभाविक रूप से मामले को तब संदर्भित करेगा जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित दलीलें स्पष्ट रूप से बहस योग्य हों; जब संक्षिप्त कार्यवाही में विचार अपर्याप्त और अनिर्णायक हो; जब

तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंब की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है। यह न्यायालय के लिए एक लघु विचारण या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया जा सके, बल्कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि और उसे बनाए रखा जा सके।

155. तदनुसार, संदर्भ का उत्तर दिया जाता है।

अदालत ने तब उस मामले के तथ्यों पर निष्कर्ष निकाला कि किसी न किसी तरह से यह निष्कर्ष निकालना असुरक्षित होगा कि मध्यस्थता समझौता

उस मामले के तथ्यों की प्रथम दृष्टया समीक्षा पर पक्षों के बीच मौजूद है, और यह कि एक गहरा विचार एक मध्यस्थ पर छोड़ा जाना चाहिए, जो दस्तावेजी और मौखिक साक्षय की जांच करता है और फिर एक निर्णय पर पहुंचता है। निष्कर्ष।

8. इसी तरह, भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम। नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 207, इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने विद्या द्रोलिया (ऊपर) को संदर्भित किया और निष्कर्ष निकाला:

" 39. विद्या द्रोलिया में निर्णय का परिणाम [विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1] पुष्टि है। डचूरो फेलगुएरा में व्याख्या की गई कानून की स्थिति [डचूरो]

फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729] और मायावती ट्रेडिंग (मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम। प्रद्युत देब बर्मन, (2019) 8 एस.

सी. सी. 714], जो मैदान पर बने हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि विद्या द्रोलिया [विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1] ने सत्ता के दायरे पर पूर्व-संशोधन स्थिति को पुनर्जीवित नहीं किया है।

जैसा कि एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम में आयोजित किया गया है। पटेल इंजीनियरिंग [एस. बी. पी. एंड कंपनी. बनाम. पटेल

इंग. लिमिटेड, (2005) 8 एससीसी 618]।

संजीव प्रकाश बनाम। सीमा कुकरेजा और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह केवल बहुत ही सीमित श्रेणी के मामलों में है, जहां इस बात में संदेह का कोई निशान भी नहीं है कि दावा प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित है, या यह कि विवाद गैर-मध्यस्थ है, कि अदालत संदर्भ देने से इनकार कर सकती है। हालांकि, अगर थोड़ा भी संदेह है, तो नियम यह है कि विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाए, अन्यथा यह उस पर अतिक्रमण करेगा जो अनिवार्य रूप से एक मामला है जिसे निर्धारित किया जाना है

न्यायाधिकरण "।

9. उपरोक्त परीक्षणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि क्या समझौता ज्ञापन को एस. एच. ए. दिनांकित 12.04.1996 द्वारा नया रूप दिया गया है, दोनों समझौतों के खंडों पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है, साथ ही

आसपास की परिस्थितियों में जिनमें ये समझौते किए गए थे, और इस विषय पर कानून पर पूरा विचार किया गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अदालत के सीमित अधिकार क्षेत्र को देखते हुए इनमें से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि विद्या द्रोलिया (ऊपर) के पैराग्राफ 148 में कहा गया है, इस पर विस्तृत तर्क दिया गया है कि क्या एक समझौता जिसमें एक

मध्यस्थता खंड को नया किया गया है या नहीं किया गया है, संभवतः एक सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा के अभ्यास में निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। इसके अलावा, यह मामला इसके दायरे में नहीं आता है।

ऐसे मामलों की श्रेणी जो मध्यस्थता को पूरी तरह से हटा देते हैं, जैसे कि ऐसे मामले जो कार्यवाहियों में हैं या ऐसे मामले जो बिना किसी संदेह के संबंधित हैं।

नाबालिग, पागल या अन्य व्यक्ति जो अनुबंध करने में असमर्थ हैं। अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका में कुछ भी कष्टप्रद या तुच्छ नहीं है। इसके विपरीत, धारा 11 न्यायालय उस मामले को तब संदर्भित करेगा जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित दलीलें स्पष्ट रूप से बहस योग्य हों, या जब तथ्यों का विरोध किया जाए। अदालत, इस स्तर पर, एक लघु परीक्षण या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती है।

तथ्य और कानून जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़प लेंगे।

10. विवादित निर्णय यह निर्णय लेने में पूरी तरह से गलत था कि कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत की याचिका और धारा पर निर्भरता

11 ( 61996 के अधिनियम के ए), जैसा कि डुरो फेलगुएरा (ऊपर) और मायावती ट्रेडिंग (ऊपर) में समझाया गया है, हाथ में मामले पर लागू नहीं थे। समझौता ज्ञापन और एस. एच. ए., जो विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता के भीतर है, पर विस्तृत विचार करने के अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश, एस. एच. ए. के खंड 28 पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार करते हुए कि पक्षों के

बीच खंड 28.2 में विस्तृत किसी भी प्रकार का समझौता निरस्त हो जाएगा, खंड 28.1 का भी उल्लेख नहीं करता है। समझौता ज्ञापन और एसएचए के अलग और विशिष्ट विषय पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, किशोरीलाल गुप्ता (ऊपर) और दामोदर घाटी निगम (ऊपर) ऐसे निर्णय हैं जो [2021] 4 एस. सी. आर. से संबंधित हैं।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के संदर्भ में नवीनता, जिसमें धारा 16 में निहित योजना से पूरी तरह से अलग योजना थी 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6ए)।

11. इन सभी कारणों से, हम उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं और पक्षों को एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हैं,

न्यायमूर्ति आफताब आलम (इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश), जो इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के संदर्भ के बिना पक्षों के बीच विवाद का फैसला करेंगे, जो केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि एजेंडा संख्या। 4 और 8, दिनांकित 31.12.2019 नोटिस में वितरित, पर आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक के लिए

15.01.2020 , यह तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ इस आदेश को अलग या अलग करने वाले अंतरिम आदेश पारित नहीं करता है, या जब तक कि कोई अंतिम पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई पक्ष आवेदन करता है या नहीं। 1996 अधिनियम की धारा 17 के तहत। 2021 की सिविल अपील संख्या 975 की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

2021 की सिविल अपील संख्या 976

13. नतीजतन, ऊपर दिए गए पैराग्राफ 11 और 12 के निर्देशों के आलोक में, 2021 की सिविल अपील संख्या 976 का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन